

**कार्यालय उप संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग (छ.ग.)**

क्रमांक/ 138/ /न.ग्रा.नि./2006

दुर्ग, दिनांक 16 मई 2006

प्रति,

✓
प्रबन्ध न्यासी/सचिव,
श्री रावतपुरा सरकार, लोक कल्याण ट्रस्ट,
ग्राम-चोरहा, जिला दुर्ग छ.ग.

विषय:- ग्राम चोरहा के सर्वे क्रमांक 63/2, 63/5, 63/3 एवं ग्राम जंजगिरी के सर्वे क्रमांक 257/2, 257/3 का कुल रकबा 8.11 एकड़ भूमि के भाग पर महाविद्यालय के विस्तार हेतु स्थल अनुमोदन बाबत।

संदर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 4.05.2006.

-0-

उपरोक्त संदर्भित आवेदन पत्र में यथावर्णित भूमि ग्राम चोरहा के सर्वे क्रमांक 63/2, 63/5, 63/3 रकबा 6.48 एकड़ ग्राम जंजगिरी सर्वे क्रमांक 257/3 रकबा 1.63 एकड़ कुल भूमि का रकबा 8.11 एकड़ पर मानचित्र में दर्शाये अनुसार महाविद्यालय हेतु विकास को क्रियान्वित करने हेतु विकास अनुज्ञा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (3) एवं छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 2(5) (क) एवं नियम 27 के तहत निम्न शर्तों के अध्याधिन रहते हुये दी जाती है।

1. भू-तल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र, सिमांत खुले क्षेत्र, मार्ग एम.आर.क्रमांक 9 (चौड़ाई 50 मीटर) का प्रस्तावित पंक्तिकरण मानचित्र में दर्शाये अनुसार रखना आव श्यक होगा। भवन की अधिकतम उंचाई भूतल + एक मंजिल मान्य होगी।
2. ग्राम-चोरहा के मार्ग को 60 फुट चौड़ाई तक का विकास करना आव श्यक होगा।
3. उच्च दाब विद्युत लाईन के आसपास भूमि-भूमि विकास नियम के अनुसार छोडना आव श्यक होगा एवं उक्त भूमि खुली क्षेत्र के रूप में रखी जावे।
4. भूमि विकास के नियम के नियम 81 अनुसार पार्किंग की व्यवस्था करना आव श्यक होगा।
5. भूमि का व्यपवर्तन राजस्व विभाग से कराना आव श्यक है।
6. किसी भी स्थिति में विकास अनुज्ञा के विरुद्ध कोई विकास, निर्माण न किया जावे।
7. अभिन्यास में दर्शाये अनुसार मार्गों का विकास एवं खुले स्थानों का विकास करना आव श्यक है।

क्रमशः.....2पर